प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।
2—आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी /
कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4—समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /
पुलिस अधीक्षक,
उत्तराखण्ड।

संo 1204/IV/03(04)/2013

गृह अनुभाग—2

देहरादून: दिनांक: जुलाई 14, 2014

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सक्रिय सूचना कार्यकर्ताओं (आरoटीoआईo एक्टिविस्ट) को सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिये गये संज्ञान एवं भारत सरकार के परिपत्र संo—24013/39/मिसo/2013—सीएसआर III दिनांक 14 जून, 2014 में की गई अपेक्षा तथा माननीय राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा शिकायत संo—513/2013 दिनांक 25 फरवरी, 2014 में राज्य सरकार से की गई अपेक्षा के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सक्रिय सूचना कार्यकर्ता(आरoटीoआईo एक्टिविस्ट) को सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की जाती है:—

1. जब किसी सक्रिय सूचना कार्यकर्ता (आरoटीoआईo एक्टिविस्ट) के संबंध में किसी अपराध अथवा हिंसा की सूचना प्राप्त होती है तो इस सूचना का अविलम्ब संज्ञान लिया जायेगा।
2. प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सूचना का गुण—दोष के आधार पर संक्षिप्त परीक्षण किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचनाओं को लेकर अक्सर उभय पक्षों के मध्य प्रायः शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सभी प्रकरणों में विभिन्न अधिनियमों में, विशेषकर दण्ड प्रकिया संहिता (सीoआरoपीoसीo) के प्रासंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
4. यदि किसी सक्रिय कार्यकर्ता (आरoटीoआईo एक्टिविस्ट) द्वारा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के विषय में कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो यथा प्रकिया उस पर जिला स्तर पर जीवन भय आख्या हेतु गठित

Scanned by CamScanner

समिति (जिसमें जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना सम्मिलित है) द्वारा जीवन भय का आंकलन कर जीवन भय आख्या शासन को प्रस्तुत की जायेगी जिस पर शासन द्वारा उचित निर्णय लिया जायेगा।

5. अन्तरिम अवधि में यदि किसी सक्रिय सूचना कार्यकर्ता (आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट) को अविलम्ब सुरक्षा दिया जाना वांछित हो, तो जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. राज्य में पूर्व से प्रदत्त "उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता-2013" जो कि सभी अपराधिक प्रकरणों में लागू है, प्रावधानों के तहत, यदि किसी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का प्रकरण आच्छादित हो तो उसमें भी उनको आर्थिक सहायता हेतु त्वरित कार्यवाही पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सुनिश्चित की जाय।

सामान्य तौर पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के सक्रिय कार्यकर्ताओं के प्रकरणों के प्रति शासन तथा सरकार के अधिकारियों द्वारा विशेष संवेदनशीलता प्रदर्शित किया जाए तथा किसी विशिष्ट प्रकरण के संज्ञान में आने पर त्वरित एवं पर्याप्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगें। सभी संबंधित द्वारा उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
सचिव।

पृ0सं0- 1204 /03(04)/2013,तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- सचिव, राज्य सूचना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
सचिव।

Scanned by CamScanner